country by providing infrastructure facilities to support employment generation activities in small and medium towns; to evelopr resource generating schemes, develop growth centres for the betterment of rural hinterland and arrest migration of rural population to larger cities. Guidelines in this regard have already been issued to the State Governments and UT Administrations. No conference with the State Governments and UT Admns. has been held by this Ministry. The State Govts. and UT Admns were consulted while revising the Scheme of IDSMT during the current financial year. The scope of IDSMT Scheme has been enhanced to cover more components, revise the financing pattern between the Central and State Governments and include institutional financing. The Government of India has no other Scheme of incentives and disincentives to direct the growth of towns and cities

Unfit water supplied to the Capital

1507. CHOWHRY HARI SINGH: SHRI H. HANUMANTHAPPA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at least half of the water supplied to the capital from the Yamuna river is unfit for human consumption because 171 large drains pollute the supplies at different places; and

(b) if so, the steps taken by Government to ensure safe drinking water supply to the residents of Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MNISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir, Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking reports that Raw Water supply to the metropolitan city of Delhi is drawn upstream of Wazirabad Barrage and the water after treatment is potable. Only 17 drains have the out fall in river Yamuna down stream of Wazirabad Barrage.

(b) In view of reply to part (a) this does not arise. It is however reported by Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking that the drinking water supplied by the undertaking conforms to prescribed standards.

नेहरू रोजगार योजना का कार्यान्वयन

1508. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेहरु रोजगार योजना" के अधीन प्रारंभ किये जानेवाले कार्यक्रम के लिये जनगणना के किस आधार वर्ष का निर्धारण किया गया है ;

(ख) इस योजना के अधीन क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं और किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों को ये सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार को ऐसे प्रस्ताव भी प्राप्त हुये हैं कि "नेहरू रोजगार योजना" के अधीन लाभभोगियों को दिये जाने वाले ऋण का पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित ज जाति के व्यक्तियों और महिलाओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिये ; यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) नेहरू रोजगार योजना, अक्तूबर, 1989 में प्रारंभ की गई थी । उस समय योजना की विभिन्न स्कीमों के लिये नगरों की पात्रता के बाबत आधार वर्ष के रूप में 1981 की जनगणना को लिया गया था ।

(ख) नेहरू रोजगार योजना शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार निर्धनों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न

करने हेतु तैयार की गई है । परिकल्पित रोजगार दो किस्म के हैं:—स्वः रोजगार उद्यमों की स्थापना और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद लोक परिसंपत्तियों का सृजन करके मजदूरी रोजगार का प्रावधान । यद्यपि योजना का मुख्य लक्षित ग्रप शहरी निर्धन हैं किन्तु महिला लाभानुग्राही तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभानुग्राही विशेष लक्षित ग्रुप हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

"राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड" का रुग्ण होना

1509. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1993 के "जनसत्ता" में "इस तरह डूबा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसे पिछले सात वर्षों से लगातार हो रहे घाटे के कारणों का पता लगा लिया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राष्ट्रीय परियोजना विकास लिमिटेड तुगभद्रा परियोजना और इंदिरा सागर पावर हाउस के ठेके प्राप्त नहीं कर पाया, यद्यपि इसकी निविदा दर अन्य निविदाओं की दरों की तुलना में न्यूनतम थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि नेशनल प्रोजेक्टस कंसट्रक्शन कारपोरेशन उत्पादक यूनिट, न होने के कारण, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है, फिर भी उक्त अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उसे रुग्ण यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया क्या है ।

(ग) कम्पनी को वर्ष 1989–90 से हानि हो रही है । ऐसी स्थिति के मुख्य कारण ये हैं—ऊपरी खर्चों पर अनुपात हीन उच्च व्यय, भारी ब्याज बोझ, कार्य करने में विलंब तथा कुछ कार्यों पर एन०पी०सी०सी० द्वारा उद्धृत की गई दरें गैर-मितव्ययी पाई गई हैं ।

(घ) और (ङ) तुंगभद्रा परियोजना के लिये डाक के जरिये भेजे गये एन० पी०सी०सी० के टेंडर पर परियोजना प्राधिकरणों द्वारा विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह देरी से प्राप्त हुआ था । यद्यपि इंदिरा सागर परियोजना के विद्युतघर कार्यों के लिये एन०पी० सी०सी० का पहला टेंडर न्यूनतम था, लेकिन परियोजना प्राधिकरणों ने नये टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय किया है । इस बार एन०पी०सी०सी० टेंडर न्यूनतम नहीं था ।

Subansiri and Dihand Dam River Valley Projects

1510. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Brahmaputra Board and the Ministry